16

योजना और गैर योजना कार्यक्रम

16.1 नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए श्रम मंत्रालय का अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए था जिसमें से 516.56 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च है । 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए मंत्रालय का स्वीकृत सारभूत परिव्यय 1500 करोड़ रुपए है जो नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है । वार्षिक योजना (2003-04) के लिए परिव्यय 170 करोड़ रुपए है अर्थात् 2002-03 के दौरान मंत्रालय के लिए अनुमोदित परिव्यय के बराबर है । वर्ष 2004-05 के लिए 181 करोड़ रुपये के मोज नागत परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया है । योजनागत प्रावधान तथा व्यय ब्यौरा तालिका 16.1 में दर्शाया गया है ।

16.2 श्रम मंत्रालय के योजनागत बजट का मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास, खानों एवं कारखानों में कार्य दशाएं सुधारना, श्रमिक शिक्षा, श्रम संबंधी विषयों पर अनुसंधान और सांख्यिकी तथा श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली में सुधार अन्य महत्वपूर्ण योजनागत स्कीमें हैं ।

16.3 वर्ष 2003-2004 में महिला घटक योजना के तहत 7.61 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डी.जी.ई. एंड टी. का महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तथा महिला श्रमिक प्रकोष्ठ सिर्फ महिलाओं से संबंद्ध योजनाओं के लिए है । महिलाओं से संबंधित कुल 10 परियोजनाएं हैं जिसमें से 8 केवल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु हैं ।

16.4 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लाभ हेतु श्रम मंत्रालय में कुछ योजना स्कीमें हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) एवं अनुसूचित जाति हेतु विशेष अंगभूत योजना (एस एस पी) हैं । वर्ष 2003-2004 के लिए टी.एस.पी. तथा एस.सी.पी. के लिए 4.86 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

16.5 सरकार के निर्देशानुसार बजट आबंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए रखा जाता है । श्रम मंत्रालय ने

इसी आधार पर, वर्ष 2003-2004 के लिए 17.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है ।

16.6 श्रम मंत्रालय श्रम संबंधी अनुमोदित मुद्दों पर अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठन को सहायता अनुदान देता है । वर्ष 2003-2004 के लिए 20 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है । इस संबंध में सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन और रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर अनेक शोध पूरे किए गए हैं । अन्य अनेक अध्ययन भी किए जा रहे हैं तथा कई पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

16.7 कार्यकारी समूहों की सिफारिशों और योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के आधार पर मौजूदा स्कीमों को चालू रखने की जरूरत का मूल्यांकन किया गया है और श्रम मंत्रालय द्वारा नए कार्यक्रम/स्कीमें बनाई गई हैं । परिणामस्वरूप 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनेक नए कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं । इनमें (i) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कौशल का परीक्षण और प्रमाणीकरण, (ii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार ; (iii) खान सुरक्षा महानिदेशालय में कानूनी जांचों के लिए सूचना डेटाबेस, सर्वेक्षण क्षमताओं का आधुनिकीकरण और तंत्र का सदृढ़ीकरण; (iv) प्राथमिकता वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और प्रवर्तन एजेंसियों में सक्षमता निर्माण और असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन रणनीति मार्गदर्शन का विकास, (v) केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण विंग का सुधार और सदृढ़ीकरण ; (vi) वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में सी जी आई टी-सह-श्रम न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन, (vii) बाल श्रम उन्मूलन पर और अधिक भारत-अमरीकी सहयोग पर संयुक्त बयान के अनुसरण में विकसित की जा रही यू एस-डोल परियोजना शामिल हैं । परियोजना का उद्देश्य जोखिमकारी उद्योगों में 2005 तक बाल श्रम का पूरी तरह उन्मूलन करना है ।

16.8 मंत्रालय के योजनागत कार्यक्रमों के अतिरिक्त, मंत्रालय में बीड़ी कर्मकारों, लौह अयस्क कर्मकारों, चूना पत्थर और डोलोमाइट, अभ्रक खान, वयस्क और सिनेमा कर्मकारों आदि के कल्याण हेतु कुछ नॉन प्लान कार्यक्रम भी हैं । ये कार्यक्रम विशेष रूप से इन कर्मकारों के लिए सृजित निधियों के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं ।

16.9 कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम में चिकित्सा देख-रेख और इलाज, बीमारी, प्रसूति, रोजगारजन्य चोट के दौरान नगद लाभ, रोजगारजन्य चोट के कारण बीमित कर्मकार की मत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों को पेंशन और बीमित व्यक्ति के दाह संस्कार के खर्च के लिए भुगतान की व्यवस्था है ।

*****

सारणी 16.1

श्रम योजनागत प्रावधान और व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम	प्रभाग/स्कीम	नवीं योजना 1997-2002		10वीं योजना 2002-07	वार्षिक योजना 2002-2003		वार्षिक योजना 2003-04		वार्षिक योजना 2004-05
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	डी.जी.ई.टी. (क) प्रशिक्षण (ख) प्रशिक्षण	 37.00 301.40	 27.53 194.72	 36.66 363.34	 14.79 42.16	 2.23 31.15	 14.79 42.16	 14.47 38.86	 6.37 35.46
2.	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (डी.जी.एम.एस. एवं डी.जी. फसली)	65.00	13.32	107.40	8.45	2.41	8.45	5.45	11.30
3.	औद्योगिक संबंध	38.56	18.26	37.20	7.75	5.12	7.75	7.06	6.18
4.	बाल श्रमिक	249.60	178.51	667.50	70.10	65.13	72.43	72.83	99.05
5.	महिला श्रमिक	1.00	0.61	2.50	0.46	0.20	0.46	0.46	0.26
6.	श्रमिक सांख्यिकी	30.00	31.31	112.00	8.34	5.92	8.34	7.35	6.18
7.	एन एल आई	10.75	10.41	12.00	2.65	2.65	2.65	2.65	2.85
8.	सहायता अनुदान स्कीम एवं अनुसंधान अध्ययन	1.00	0.65	3.00	0.20	0.11	0.20	0.20	0.25
9.	श्रमिक शिक्षा	15.00	14.66	35.00	7.00	6.04	8.67	8.67	9.00
10	बंधुआ श्रमिकों	35.30	24.43	44.00	2.00	3.45	3.00	3.00	3.00

.	का पुनर्वास								
11.	अन्य योजनाएं (हमालों के लिए आवास सूचना प्रौद्योगिकी, अनुभागों का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन,कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर नई पहल आदि)	7.51	2.15	79.40	6.10	1.16	1.10	1.00	1.10
12.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय (डी जी ई एण्ड टी के अलावा)					0.81			
	योग	**792.12**	**516.56**	**1500.00**	**170.00**	**126.38**	**170.00**	**162.00**	**181.00**